न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

पीठासीन अधिकारी–मनोज कुमार(आर0ए0एस0)

अपील संख्या– 2012/00093

स्टैट ऑफ राजस्थान जर्ये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा(राज0)।

– अपीलांट

बनाम

हमीर सिंह आत्मज कल्याणसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम सुरेला तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।

–रेस्पोडेन्ट

उपस्थित वक्त बहस–(1) पैरोकार सरकार– अपीलांट की ओर से
(2) रेस्पोडेन्ट – बावजूद सूचना अनुपस्थित

निर्णय **दिनांक 11.09.2023**

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अतंर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दिगोद, जिला कोटा के प्रकरण संख्या 150/2000 मे पारित निर्णय दिनांक 07.02.2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम सुरेला तहसील दीगोद में श्री धार सिंह आत्मज श्री गुलाब सिंह जाति राजपूत के खाते व कब्जे काश्त की खसरा नम्बर 30 रकबा 15 बीघा 7 बिस्वा आराजी स्थित थी। उपरोक्त आराजी में आर.एल.डी.सी. द्वारा भू–सुधार कार्य कर दिया गया तथा भू–सुधार के बाद उपरोक्त वर्णित आराजी के अन्य खसरा नम्बर के साथ खसरा नम्बर 94 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा भी दर्ज किया गया था। खसरा नम्बर 94 की 3 बीघा 8 बिस्वा आराजी को वादी ने श्री धार सिंह जी से दिनांक 09.04.1982 को 3500/–रूपये में रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र से खरीद कर ली और प्रतिफल देकर भूमि पर वादी ने कब्जा प्राप्त कर लिया था। तथा राजस्व अभिलेखों में वादी का नाम दर्ज हो गया। ग्राम सुरेला तहसील दीगोद

की खसरा नम्बर 94 की रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा आराजी में प्रतिवादी के सैटलमेंट विभाग ने भू–प्रबंध कर दिया तथा उक्त आराजी के खसरा नम्बर 94 की 3 बीघा 8 बिस्वा के नये खसरा नम्बर 117 की 0.26 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 118 की 0.16 हैक्टेयर कुल 0.42 हैक्टेयर दर्ज कर दिया जबकि 3 बीघा 8 बिस्वा के 0.54 हैक्टेयर होते है । इस प्रकार 0.44 हैक्टेयर दर्ज कर 0.10 हैक्टेयर भूमि कम दर्ज की है। वादी आज भी मौके पर पूर्व रिकॉर्ड के अनुसार कबिज होकर वादग्रस्त आराजी पर अबाध रूप से काश्त कर रहा है। प्रतिवादी के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह गफलत एवं लापरवाही करके वादी के खाते व कब्जे काश्त की आराजी में से 0.10 हैक्टेयर आराजी का अंकन करके वादी को अपरिमित क्षति पहुंचाने का असफल प्रयास करे। वादी ने कई दफा प्रतिवादी के प्रतिनिधि, अधिकारी व कर्मचारियों को इन्द्राज दुरूस्त करने के लिए निवेदन किया किन्तु प्रतिवादी के कर्मचारी व अधिकारियों ने वादी के प्रार्थना–पत्रों पर कोई ध्यान नहीं दिया बल्कि वादी को तहसीलदार व पटवारी हल्का ने उसके खाते व कब्जे–काश्त की भूमि से बेदखल करने की धमकी दी है। वादी को पूर्व वैधानिक अधिकार प्राप्त है कि वह माननीय न्यायालय मे वाद प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी का अंकन पूर्व राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार करवाये तथा प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी से बेदखल करने के लिये स्थगन आदेश जारी कर वादी को बेदखल करने से रूकवाये। अन्त में ग्राम सुरेला तहसील दीगोद की पुराने खसरा नम्बर 94 की 3 बीघा 8 बिस्वा के नये नम्बर 117 व 118 की 0.54 हैक्टेयर भूमि का वादी को खातेदार घोषित किये जाने व राजस्व रिकॉर्ड में खसरा नम्बर 117 की 0.26 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 118 की 0.16 हैक्टेयर के स्थान पर 0.10 हैक्टेयर कमी पूर्ति करते हुए कुल रकबा .54 हैक्टेयर दर्ज किये जाने की डिकी पारित किये जाने का निवेदन किया।

3. उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। दिनांक 07.02.2003 को वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम सुरेला के खसरा नम्बर 117 व 118 में से राजस्व रिकॉर्ड में पूर्व रकबा 0.54 हैक्टेयर दर्ज किये जाने की निर्णय व डिकी पारित की ।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 07.02.2003 से असंतुष्ट होकर अपीलांट प्रतिवादी ने प्रथम अपील इस न्यायालय मे मियाद बाहर प्रस्तुत की है। अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट प्रस्तुत किया गया। अपीलांट प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 स्वयं उपस्थित

हुआ। दिनांक 18.01.2019 की आदेशिका पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हस्ताक्षर अंकित है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। दौराने बहस रेस्पोडेन्ट उपस्थित नहीं होने से विद्वान पैरोकार सरकार की एकतरफा बहस सुनी गई।

5. दौराने बहस अधिवक्ता अपीलांट ने धारा–5 लिमिटेशन एक्ट तथा अपील मेमो मे अंकित तथ्यो को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री वस्तु स्थिति एवं विधान के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली में उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अवलोकन किये बिना ही निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी है जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक है तथा निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार के एवं बिना तनकीवार विवेचन किये ही निर्णय व डिक्री पारित की है जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी आधार के वादी रेस्पोडेन्ट को ग्राम सुरेला स्थित खसरा नम्बर 117 व 118 की 0.54 हैक्टेयर भूमि का खातेदार घोषित कर दिया है जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक है तथा निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार के किसी भी सरकारी सिवायचक, नदी, नाला, खाल, खड्डा की भूमि का रकबा 0.10 हैक्टेयर भूमि कम करने का आदेश प्रदान कर दिया है जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से ही स्पष्ट होता है कि पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह प्रमाणित होता हो कि खसरा नम्बर 117 व 118 की भूमि में से किसी भूमि का रकबा 0.10 हैक्टेयर कम हुआ है। परन्तु फिर भी इस तथ्य को नजरअन्दाज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने तौर पर खसरा नम्बर 117 व 118 में से किसी भी भूमि का रकबा 0.10 हैक्टेयर बढ़ाने का निर्णय प्रदान कर दिया है जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय व डिक्री से राज्य सरकार के हित प्रभावित होते है। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय एवं डिक्री जैर अपील प्रस्तुत करने हेतु उच्च अधिकारियों से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करने एवं लीगल राय लेने में समय लग गया, अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक है, क्योंकि सरकारी प्रकिया लम्बी एंव जटिल होती है। इसमें किसी प्रकार की दुर्भावना नहीं है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री से राज्य सरकार के हित प्रभावित होते हुए है, इसलिए अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को न्यायहित में कन्डोन किया जाना अत्यन्त आवश्यक है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कन्डोन करने पर अपील अवधि मध्य प्रस्तुत है। प्रश्नगत निर्णय में न तो कोई स्पष्टता है तथा न ही प्रश्नगत निर्णय दिनांक 07.02.2003 पारित करते समय विधिक

प्रकिया तथा कानून का पालन किया गया है। प्रश्नगत निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.02.2003 पूर्णतः विधि विरूद्ध है तथा कानून की दृष्टि से इसका कोई महत्व नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार से कोई जवाब भी प्राप्त नहीं किया। प्रतिवादी को बहस का भी अवसर प्रदान नहीं किया। बिना सुनवाई किए एकतरफा कानून–विरूद्ध निर्णय लिखा गया है। हस्तगत निर्णय एवं डिक्री अब्दुल रहमान बनाम सरकार का माननीय हाईकॉर्ट के निर्णय से भी प्रभावित है। ऐसे निर्णयों के विरूद्ध लिमिटेशन के बिन्दु देरी को क्षमा किया जाना चाहिए क्योंकि यह निर्णय एवं डिक्री पूर्णतः कानून के विरूद्ध है। अपीलांट को सुनवाई का अवसर भी प्रदान नहीं किया गया तथा बिना कोई विधिक प्रकिया अपनाए विधि विरूद्ध प्रश्नगत निर्णय व डिक्री पारित किए गए है। विद्वान पैरोकार सरकार ने अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी. 1992 पेज 17, आर.आर.टी. 2011(1) पेज 602 व आर.आर.टी. 2018(1) पेज 601 प्रस्तुत किए। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 07.02.2003 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

6. हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया। हमारे मत में प्रश्नगत निर्णय व डिक्री अस्पष्ट तथा विधि सम्मत नहीं है। इस प्रकार के निर्णय की पालना कैसे होगी? कहां से रकबा कम होगा? साक्ष्य भी नहीं लिए गए। प्रतिवादी अपीलांट को भी नहीं सुना गया। हमारे समक्ष रेस्पोडेन्ट की अनुपस्थिति के कारण अपीलांट के प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–5 लिमिटेशन एक्ट के कथनों का कोई खण्डन भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में हम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो के प्रकाश में तकनीकि रूख में नरमी अपनाते हुए मियाद के बिन्दु पर उदारता का दृष्टिकोण रखना उचित समझते है। ऐसी स्थिति मे अपीलांटगण द्वारा अपील प्रस्तुत करने में किए गए लम्बे विलम्ब को क्षमा किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः न्यायहित में अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

7. हमने विद्वान पैरोकार सरकार की एकतरफा बहस पर मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में अंकित किया है कि, "वादी को खसरा 117 व 118 की 0.54 हैक्टेयर का खातेदार

घोषित किया जाता है। जो रकबा 0.10 एयर बढ़ाया जा रहा है। वह रकबा चक रकबा मिलान हेतु अन्य सिवायचक नदी, नाला खाल खड्डर से कम किया जावे चूंकि पटवारी रिपोर्ट से यह तो स्पष्ट है कि गत के मुकाबले में वर्तमान नम्बरान में रेकॉर्ड में 0.10 एयर कम है जो किन मौके पर पूरा 0.54 एयर है। ऐसी स्थिति में उक्त ख.न. 117 व 118 में से रेकॉर्ड में जिसका रकबा कम हो उसका अधिक दर्ज किया जाकर 117 व 118 नम्बरान का पूर्ण रकबा 0.54 हैक्टेयर दर्ज किया जावे।" हम अपीलांट पैरोकार सरकार के इस कथन से सहमत है कि यह आदेश अस्पष्ट है तथा एक सीमा तक अब्दुल रहमान प्रकरण से भी प्रभावित होना प्रतीत होता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट प्रतिवादी के विरूद्ध कोई एकतरफा कार्यवाही किये जाने का अंकन नहीं है तथा आदेशिका पर अंकित निर्णय दिनांक 07.02.2003 पर केवल वादी के उपस्थित होने का अंकन है। अतः यह स्पष्टतः प्रतीत होता है कि प्रतिवादी अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.02.2023 में अस्पष्टता है। निर्णय दिनांक 07.02.2003 रिजण्ड तथा स्पीकिंग नहीं है। सी.पी.सी. के प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। किस खसरा नम्बर में भूमि कम की जाएगी, यह भी स्पष्ट नहीं है। प्रतिवादी तहसीलदार से कोई जवाब नहीं लिया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय मे वादी द्वारा भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए क्योंकि पत्रावली कभी साक्ष्य हेतु नियत ही नहीं की गई। हम पैरोकार सरकार के इस तर्क से सहमत है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.02.2003 जारी करते समय विधिक प्रकिया की पालना नहीं की गई तथा प्रश्नगत निर्णय भी स्वयं में अस्पष्ट है तथा इसकी पालना कैसे होगी यह अस्पष्ट है। प्रकरण में कोई साक्ष्य नहीं ली गई केवल बिना किसी विधिक आदेश/प्रकिया के पटवारी की एक रिपोर्ट दिनांक 23.10.2002 को निर्णय का आधार बनाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सी.पी.सी. के प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। हमारे मत में प्रश्नगत निर्णय व डिक्री अस्पष्ट तथा विधि सम्मत नहीं है। इस प्रकार के निर्णय की पालना कैसे होगी? कहां से रकबा कम होगा? साक्ष्य भी नहीं लिए गए। प्रतिवादी अपीलांट को भी नहीं सुना गया। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 07.02.2003 विधि सम्मत नहीं होने से खारिज किया जाने योग्य है। हमारे समक्ष रेस्पोडेन्ट की अनुपस्थिति के कारण अपीलांट के प्रार्थना–पत्र धारा 5 लिमिटेशन एक्ट व अपील के कथनों का कोई खण्डन भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

8. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा के प्रकरण संख्या 2012/00093 मे पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 07.02.2003 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण पर नवीन सिरे से निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई हेतु दिनांक 10.10.2023 को उपस्थित रहे।

9. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

10. निर्णय आज दिनांक 11.09.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा